

29¹¹/₁₉

(1/19)
पत्रावली पेश हुई पशुकारान अनुपाधिक
पशुकारान को बार-बार आवाज लगाई
गई परन्तु कोई पशुकारान उपस्थित नहीं
हुआ इसलिए वादी का वाद अदम हाजरी
अदम पैरवी में खारिज किया जाता है,
पत्रावली के साथ सुमार होकर दर्ज नक्का
से कम ही। आदेश खुले न्यायालय
में सुनाया गया।

